73

सेवा मे,

श्री मान वन राजिक अधिकारी,

नारायणगढ, जिला अम्बाला ।

विषय – वृक्षों को काटने की अनुमति देने बारे ।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि मैं परमाल सिहं पुत्र श्री हन्स राज निवासी गांव जंग्गूमाजरा तहसील नारायणगढ जिला अम्बाला का रहने वाला हूँ । मेरे पास गांव में जमीन के चार किले है । मेरी इस जमीन पर चार तूण के छोटे वृक्ष लगे हुए है । मेरी पत्नी अक्सर बिमार रहती है तथा उसका इलाज पी0जी0आई0 चण्डीगढ में चल रहा है । इसके लिए मुझे पैसों की आवश्कता है । मेरे पास आमदनी का कोई अन्य साधन नही है । इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि मुझे इन वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाऐ । आपकी अति कृपा होगी ।

धन्यवाद ।

दिंनाक 22–05–15

प्रार्थी, परमाल सिंह

परमाल सिहं पुत्र श्री हन्सराज,

निवासी गांव जंग्गूमाजरा ।

तहसील नारायणगढ जिला अम्बाला ।

510
22/5/15

श्री मान जी,

मैं तस्दीक करता हूँ कि मौका देख कर रिपोर्ट कि जाति है। प्रार्थी कि अपनी मलकियत भूमि में तुने के पेड़ खड़े है। प्रार्थी उनको कटवाना चाहता है। प्रार्थी कि पत्नी अकसर बिमार रहती है। प्रार्थी इनको बेचना चाहता है। भूमि कटाव का कोई खतरा नहीं है। यह रकबा Sec-4 मे आता है। पेड़ो का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

SNo.	SPP	Girth	class.
1.	तुन	80	IV - 0.14
2	"	94	III 0.57
3.	"	80	IV 0.14
4	"	106	III 0.57
			1.32 (मी)

Bhagat Ram F.G.

Ashok Kumar RL

क्रमांक: 178 mg

दिनांक: 28/5/15

प्रार्थी की भूमि पर खसरा नं. स्वयं कार्यालय का मौका मुआयना पश्चात धारा-4 के तहत तुन्न कटान की अनुमति और सुसंगत रूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(signature)

Range Forest Officer
Naraingarh